Serial No. 78/2011

Eastern Railway

No. E. 886/0/Vol. VIII Kolkata dated 23/06/2011

All Concerned

Sub : Retention of Railway quarter by Railway Officers/Staff posted to NHAI on deputation.

The following copy of Railway Board's letter No. E (G) 2011 QR1-8 dated 06/06/2011 (RBE NO. 82/2011) is appended for information, guidance and necessary action.

(G. Bandyopadhyay)
for Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. E (G) 2011 QR1-8 dated 06/06/2011 (RBE NO. 82/2011) addressed to General Managers, All Indian Railways and others.

Sub : Retention of Railway quarter by Railway Officers/Staff posted to NHAI on deputation.

The question of allowing the Railway Officers/Staff on deputation with **National Highway Authority of India** (NHAI) to retain the Railway Quarters in their occupation was under consideration of Board. In exercise of its powers to make reasonable relaxations in public interest for a class/group of employees, in all or any of the existing provisions regarding house allotment /retention, the Board (full) has decided that Railway personnel who are on deputation with NHAI (a **non-Railway PSU) be allowed retention of Railway quarters** in their occupation **beyond permissible period** and up to completion of all phases of National Highways Development Project or NHAI makes its own residential alternative arrangement, whichever event occurs earlier.

2. The NHAI would be required to pay the **market rate of license fee** (equal to damage rent) to the quarter controlling authority in the lending organization and charge normal license fee from the personnel retaining Railway accommodation. It would be the responsibility of borrowing organization i.e. the NHAI to intimate this office as and when the construction of its own dwelling units is completed.

3. All other conditions stipulated in earlier orders regarding house retention are applicable *in toto*.

4. This is issued with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Index No. 1062: Rules regarding retention of Railway quarters beyond permissible period by Railway personnel on deputation with NHAI.

****

आरबीई सं. 89/2011

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी)2011 क्यूआर 1-8 नई दिल्ली, दिनांक: 06.06.2011

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर तैनात रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रेलवे क्वार्टर रखना।

रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों के पास जो रेलवे क्वार्टर हैं, उन्हें **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण** में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के दौरान उनके पास ही बनाए रखने के मुद्दे पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया और मकान आबंटन/अपने पास बनाए रखने से संबंधित सभी अथवा किन्हीं मौजूदा प्रावधानों में किसी एक श्रेणी/ग्रुप के कर्मचारियों के लिए जनहित में समुचित छूट प्रदान करने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड (पूर्ण) ने विनिश्चय किया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण **(गैर-रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)** में प्रतिनियुक्ति पर गए रेल कर्मी को **उनके पास जो रेलवे क्वार्टर हैं, उसे अनुमेय समय से आगे** और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के सभी चरणों के पूरा होने तक अथवा जब तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने स्वयं की वैकल्पिक आवास व्यवस्था नहीं करता, जो भी पहले हो, **अपने पास ही रखने की अनुमति होगी।**

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रेल कर्मी को प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले संगठन में क्वार्टर नियंत्रण प्राधिकारी को **बाजार दर पर लाइसेंस शुल्क** (डैमेज किराए के बराबर) का भुगतान किया जाएगा तथा रेलवे क्वार्टर रखने वाले कर्मी से सामान्य लाइसेंस शुल्क प्रभारित किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले संगठन अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि जब कभी उनके अपने मकानों का निर्माण कार्य पूरा होगा, वह इस कार्यालय को सूचित करेगा।

3. मकानों को अपने पास ही रखने के संबंध में पहले जारी किए गए आदेशों में निर्धारित सभी अन्य शर्तें पूरी तरह लागू रहेंगी।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
कृपया पावती दें।

(मदन लाल)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (सामान्य)

सं. ई(जी)2011 क्यूआर 1-8 नई दिल्ली, दिनांक: 06.06.2011

प्रतिलिपि प्रेषित: भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियां सहित)।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें